

दूरभाष सं० : 0120-2821025
फैक्स सं० : 0120-2821025

Email : gzbzone@gmail.com



ORIGINAL
Signature

मुख्य अभियन्ता (वितरण)
गाजियाबाद क्षेत्र,
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०
निकट 33/11 केवी सबस्टेशन, राजनगर, गाजियाबाद।

पत्रांक :

/मु०अ०/गा०बा० क्षेत्र/गा०/भार स्वीकृति

दिनांक-

कार्यालय ज्ञाप

प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ के पत्रांक- 4530/प०वि०वि०नि०लि०/तक०/मै० हेबिटेड सेन्टर दिनांक-18.11.2015 द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर मैसर्स इन्दिरापुरम हेबिटेड सेन्टर प्राइवेट लि०, प्लॉट नं०-16, अहिंसा खण्ड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद के पक्ष में, विद्युत भार स्वीकृति हेतु दी गई अनुमति के अनुसार अधोलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन औद्योगिक विद्युत भार स्वीकृत किया जाता है:-

क्र०	इकाई/पार्टी का नाम व पता	स्वीकृत विद्युत भार	टैरिफ	चरण	विद्युत भार	अवमुक्ति का वर्ष
1.	मैसर्स इन्दिरापुरम हेबिटेड सेन्टर प्राइवेट लि०, प्लॉट नं०-16, अहिंसा खण्ड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद	13960 के०वी०ए० (12564 कि०वाट) (तेरह हजार नौ सौ साठ के०वी०) नया विद्युत भार (एकल बिन्दु पर 33 के०वी विभव पर स्वतंत्र पोषक के द्वारा निर्गत)	एच०वी०-1 (वाणिज्यिक)	प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ	2500 किलोवाट 2500 किलोवाट 2100 किलोवाट 5464 किलोवाट	दिसम्बर 2015 मई 2016 मई 2017 फरवरी 2018

- आवेदनकर्ता के पक्ष में विद्युत भार निर्माणाधीन 400/220/33 केवी काला पत्थर उपसंस्थान से 33 केवी एकल बिन्दु पर स्वतंत्र पोषक द्वारा निर्गत किया जाना प्रस्तावित है।
- विद्युत भार के अनुरूप उपयुक्त क्षमता का इलैक्ट्रॉनिक मीटर जिसमें कम से कम 35 दिन का डाटा स्टोर करने की सुविधा हो लगाया जायेगा।
- इकाई के मुख्य प्रवेश द्वार के निकट स्वतंत्र प्रवेश द्वार का मीटरिंग रूम उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० के मापदण्डों के अनुरूप उपभोक्ता को अपने व्यय पर बनाना होगा तथा मीटरिंग कक्ष तक प्रवेश का मार्ग स्वतंत्र होगा एवं मीटरिंग कक्ष में कारपोरेशन का ताला होगा।
- प्रभावित 400/220/132 केवी उप-संस्थानों पर स्थापित ट्रान्सफार्मरों की निर्धारित अधिकतम लोडिंग सीमा से अधिक भारित होने की दशा में इकाई की विद्युत आपूर्ति में कटौती की जायेगी।
- विद्युत प्रणाली ओवर लोडिड होने के कारण इस बात की पूरी सम्भावना है कि इकाई की विद्युत आपूर्ति में व्यवधान होने की सम्भावना हो सकती है तथा आवश्यकतानुसार शेडयूल्ड तथा आपातकालीन रोस्टरिंग की जा सकती है।
- विद्युत सप्लाय कोड 2005 के तीसरे संशोधन के प्रस्तर 4.8(सी) में निहित प्राविधानों के तहत ऊपर लिखित विद्युत भार को अवमुक्त करने हेतु उपभोक्ता को नियम व शर्तें दिये जाने की तिथि से 90 दिन के अन्दर प्राक्कलन की वांछित धनराशि जमा करानी होगी अन्यथा की स्थिति में यह भार स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- यदि उपभोक्ता के पक्ष में उक्त विद्युत भार पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है तो उस दशा में यह भी आदेश निरस्त माने जायेंगे।
- उ० प्र० राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा विकसित औद्योगिक स्थान/क्षेत्र में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों के भार अवमुक्त करने से पूर्व इकाई को उक्त निगम का अनापत्ति प्रमाण पत्र सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को देना अनिवार्य होगा।
- यह स्वीकृति इस शर्त के साथ भी प्रतिबन्धित है कि उपभोक्ता को इस विद्युत भार के उपभोग से पूर्व उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड (यू०पी०पी०लूशन कन्ट्रोल बोर्ड) या केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जो भी लागू हो) से अद्यतन एवं वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन०ओ०सी०) के अतिरिक्त उक्त प्रयोजनार्थ शासन से सम्बन्धित विभाग/सक्षम अधिकारी द्वारा लाईसेन्स (यदि नियमतः आवश्यक हो) भी प्राप्त कर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को जमा करना अनिवार्य होगा या इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उत्तर प्रदेश अथवा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राविधान उसपर लागू नहीं हैं।
- उपभोक्ता द्वारा विधा/उत्पादन बदलने पर यह स्वीकृति स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- अन्यथा आदेशित न होने के दशा में विद्युत आपूर्ति उ० प्र० पावर कारपोरेशन के रेट शेडयूल में निहित वोल्टेज पर ही दी जायेगी।
- उक्त संयोजन को विद्युत आपूर्ति कारपोरेशन नियमों के अन्तर्गत की जायेगी परन्तु प्रतिकूल परिस्थितियों में विद्युत प्रणाली की सुरक्षा हेतु समय-समय पर आवश्यकतानुसार आपातकालीन रोस्टरिंग की जा सकती है।

कमश.....2

13. विद्युत आपूर्ति, निगम में रेट-शेडयूल में निहित वोल्टेज पर ही दी जायेगी।
14. उक्त विद्युत भार किसी भी दशा में निगम की किसी भी ट्रंक लाईन को टेप करके, अवमुक्त नहीं किया जायेगा।
15. किसी भी दशा में शहरी पोषक को नगर पालिका/नगर महापालिका/टाउन एरिया की सीमा से बाहर बढ़ाकर विद्युत भार अवमुक्त नहीं किया जायेगा।
16. स्वतन्त्र पोषक द्वारा विद्युत भार अवमुक्त करने हेतु निगम द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
17. यदि कालम-6 में उल्लिखित परिसर/इकाई पर अथवा उपभोक्ता के नाम से पहले से कोई कनेक्शन रहा हो तो उक्त भार तब तक नहीं अवमुक्त (रिलीज) नहीं किया जायेगा तब तक कि उस पुराने कनेक्शन अथवा उपभोक्ता के विरुद्ध बकाया कारपोरेशन धनराशि (यदि कोई हो) का पूरा भुगतान न कर दिया जायें।
18. यदि उक्त इकाई/उपभोक्ता द्वारा निगम की नीति सम्बन्धी विषयों (उदाहरणार्थ) टैरिफ या उससे सम्बन्धित विषय जैसे फ्यूल सरचार्ज, लो पावर फेक्टर सरचार्ज, टैरिफ की दर विरल/अविरल विद्या आदि के विषय में) कोई विवाद किसी भी न्यायालय में उठाया गया है, और वह लम्बित है तो उस दशा में विवाद समाप्त होने के पश्चात ही विद्युत भार अवमुक्त किया जायेगा।
19. यदि उपभोक्ता के विरुद्ध विद्युत का कोई बकाया है और न्यायालय में वाद लम्बित है तथा उस धनराशि पर माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त है तो विद्युत भार अवमुक्त करने से पूर्व उपभोक्ता समस्त बकाया धनराशि के समतुल्य बैंक गारण्टी सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता(वितरण) के पक्ष में प्रस्तुत करेगा।
20. समय-समय पर निगम एवं विद्युत आपूर्ति संहिता-2005(संशोधनों सहित) का पालन कराते हुये समस्त शर्तें /औपचारिकताएँ पूर्ण करा ली जाये।
21. मण्डल स्तरीय उद्योग बन्धु समिति की अनुमति के बिना प्रयोजन एवं कार्यस्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
22. भार अवमुक्त करते समय डबल मीटरिंग करना सुनिश्चित किया जाये।
23. उपभोक्ता की मीटरिंग 03 फेज 04 वायर सिस्टम से की जायेगी।
24. उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ की जाती है कि उपभोक्ता से अपेक्षित औपचारिकतायें (यदि कोई शेष हो) सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता(वितरण) द्वारा अनुबंध के समय पूर्ण करा ली जायें।
25. मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 13.10.2014 को ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता के सम्बन्ध में हुई बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु संख्या-7 में लिये गये निर्णय के अनुसार आझापक किये जाते से पूर्व ही 60 कि0वाट से ऊपर के भार वाले घरेलू/वाणिज्य/ऑफिस/इन्स्टीट्यूट इत्यादि उपभोक्ता, APFC Pannel (Automatic power factor corrector) लगा कर अपने विद्युत के बिलों में 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत की बचत कर सकते हैं। अतः उपभोक्ता को APFC Pannel (Automatic power factor corrector) लगाया जाना आवश्यक होगा यदि उसका विद्युत भार 60 कि0वाट या इससे अधिक है।
26. उपभोक्ता की बिलिंग नियमानुसार टैरिफ में की जायेगी।

(अरविन्द राजवेदी)

मुख्य अभियन्ता (वितरण)

पत्रांक 8924 /मु0अ0गा0क्ष0/तददिनांक: 4/12/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-द्वितीय, गाजियाबाद।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-अष्टम, गाजियाबाद।
3. मैसर्स इन्दिरापुरम हेबिटेट सेन्टर प्राइवेट लि0, प्लॉट नं0-16, अड़िसा खण्ड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद।

(संजय अग्रवाल)

अधीक्षण अभियन्ता(वा0)

कृते मुख्य अभियन्ता